



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना रेहड

दिनांक 12.11.2024

थाना रेहड पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 127 / 24 धारा 305(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2024 को वादी श्री कपिल कुमार पुत्र रामप्रसाद सिंह निवासी ग्राम जस्सुजोत थाना रेहड जनपद बिजनौर ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाइकिल सीटी-100 (यूपी 20 बीएम 2599) को चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 127 / 24 धारा 305(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही-

थाना रेहड पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 127 / 24 धारा में वांछित अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सुमित कुमार पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1- चोरी की गयी मोटरसाइकिल सीटी-100 (यूपी 20 बीएम 2599)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 फिरोज खान थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 2.हे0का0 485 आस मौहम्मद थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 275 अम्बुल पंवार थाना रेहड जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक:- 12.11.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.11.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	चांदपुर	सत्यप्रकाश पुत्र सौनाथ सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर बिजनौर ।
2.	चांदपुर	कौशल्या देवी पत्नी सत्यप्रकाश निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर बिजनौर ।
3.	स्योहारा	मौ० अतीक अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौ० मुस्लिम चौधरियान स्योहारा बिजनौर।



थाना चांदपुर



थाना स्योहारा



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 12.11.2024

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त उमेर उर्फ दूल्हा पुत्र मोबीन निवासी मौ० गोविन्दनगर बुद्ध बाजार कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 442/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

उमेर उर्फ दूल्हा पुत्र मोबीन निवासी मौ० गोविन्दनगर बुद्ध बाजार कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

1- 01 अवैध चाकू ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु०अ०सं० 340/2017 धारा 380/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु०अ०सं० 251/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु०अ०सं० 423/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. मु०अ०सं० 154/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
5. मु०अ०सं० 254/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
6. मु०अ०सं० 340/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
7. मु०अ०सं० 442/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ०नि० श्री कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. का० 1956 आर्यन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का० 1346 विजयपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना रेहड

दिनांक 12.11.2024

थाना रेहड पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 91/24 धारा 65(1)/351(3)/115(2)/89 बीएनएस व 3/4 पाँक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.2024 को वादी ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि अभियुक्त राजा पुत्र अबरार ने वादी की पुत्री के साथ गलत काम किया तथा उसके आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी। अभियुक्त अबरार, व उसके पुत्र फिरोज व सुलेमान ने जान से मारने की धमकी दी और वादी की पुत्री के साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 91/24 धारा 65(1)/351(3)/115(2)/89 बीएनएस व 3/4 पाँक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

थाना रेहड पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 91/24 धारा 65(1)/351(3)/115(2)/89 बीएनएस व 3/4 पाँक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त राजा पुत्र अबरार निवासी ग्राम व थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. राजा पुत्र अबरार निवासी ग्राम व थाना रेहड जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार थाना रेहड जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 1747 हेमन्त कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना चांदपुर

दिनांक 12.11.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 607 / 19 धारा 302 / 394 / 201 / 411 भादवि में वांछित तथा 50,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2019 को वादी श्री साजिद पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ0 मुफ्तीसराय थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई वाजिद पर जान से मारने की नियत से तमंचे फायर किया तथा वादी के भाई व उसके साथी हसीनुद्दीन व रईस से नगदी छीनी और फरार हो गये। घायल वाजिद की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर



थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 607 / 19 धारा 302 / 394 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.पवन पुत्र रामपाल निवासी ग्राम कौशल्या थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.वीर सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र जगदीश निवासी कुण्डामाफी थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा 3.रईस पुत्र तौफिक निवासी अकौन्धा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

अभियोग में वांछित चल रहा अभियुक्त रवि उर्फ मोहित कुमार पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम चुखैडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। जिसके विरुद्ध मा0न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किये गये, धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही भी करायी गयी थी। दिनांक 03.06.2024 को थाना चांदपुर पर मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होकर मा0न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के संबंध में अभियुक्त रवि के विरुद्ध थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 268 / 24 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर करीब 01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

“नोट – श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद द्वारा अभियुक्त रवि उर्फ मोहित की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।”

कार्यवाही-

आज दिनांक 12.11.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 607/19 धारा 302/394 भादवि में वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि उर्फ मोहित पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम चुखैडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रवि उर्फ मोहित पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम चुखैडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 228/11 धारा 392/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0स0 264/11 धारा 307 भादवि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0स0 265/11 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0स0 360/11 धारा 356/392/411 भादवि0 थाना चादपुर बिजनौर।
5. मु0अ0स0 410/11 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर।
6. मु0अ0स0 21/14 धारा 323/392/411 भादवि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0स0 157/14 धारा 379/392/411 भादवि व 197 मो0वि0 एक्ट थाना को0शहर बिजनौर।
8. मु0अ0स0 207/14 धारा 147/148/149/307/392/411/414/420 भादवि थाना को0शहर
9. मु0अ0सं0 208/14 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
10. मु0अ0सं0 59/2015 धारा 302/120बी भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
11. मु0अ0सं0 66/2015 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
12. मु0अ0सं0 443/16 धारा 147/148/149/452/504/506 भादवि थाना हल्दौर बिजनौर।
13. मु0अ0सं0 444/16 धारा 147/148/149/307/34 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
14. मु0अ0सं0 607/2019 धारा 302/394 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
15. मु0अ0सं0 268/24 धारा 174ए भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष पुष्कर सिंह मेहरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3.हे0का0 438 गजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 4.आरक्षी 794 बालेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना चांदपुर दिनांक 12.11.2024

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में 02 शातिर चोरो को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.11.2024 को थाना चांदपुर पुलिस को चौकी बवनपुरा पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति बकैना माईनर के पास मध्य गंगा नहर की पटरी पर बने क्रासिंग पुल के पास चोरी का माल आपस में बांट रहे है । सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया । पुलिस टीम द्वारा सूझबूझ से अपना बचाव करते हुये 02 अभियुक्तगणो को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने अपना नाम सलीम पुत्र रईश निवासी ग्राम गांगू नंगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर तथा शहजाद पुत्र मौ0 अली निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर बताया ।

अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 तमन्चा, 01 खोखा कारतूस, 01 सैमसंग एलईडी, 01 थैली (जिसमे एक नोटों की माला जिसमें 880 रुपये नगद), 02 सफेद धातु की पायल, 04 सफेद धातु की बिछुवे बरामद हुए । दूसरे लाल रंग की पॉलिथीन थैले में 02 सफेद धातु की पायल व 04 सफेद धातु की बिछुवे बरामद हुए । तीसरे कपडे के नीले रंग के थैले में 06 सफेद धातु की पायल, 01 पीली धातु की अंगूठी, 01 पीली धातु का लोकेट, 01 सफेद धातु का मंगलसूत्र व 4000 रुपये नगद बरामद हुए ।

इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 617/24 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगणो ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो मिलकर रात्रि में घरों से चोरी करते है । हमारे द्वारा करीब एक महीना पहले ग्राम अलावलपुर से एक घर का ताला तोडकर एल0ई0डी0 टीवी चोरी किया था । हमसे बरामद पीले रंग के प्लास्टिक के थैले में जो नोटों की माला व ज्वैलरी है उसे हमने करीब 05 महीने पहले ग्राम पौटी के एक घर से रात्रि में चोरी किये थे तथा लाल रंग के थैले में जो ज्वैलरी मिली है, हमने उन्हे ग्राम बल्दाना में गांव के बाहर स्थित रात्रि में घर के पीछे की दीवार में कुंबल कर करीब 4-5 महीने पहले चुराया था । चौथे नीले रंग के कपडे थैले में जो ज्वैलरी व नगद रुपये बरामद हुए, उसे हमने इसी महीने की करीब एक सप्ताह पूर्व रात्रि में ग्राम पुरैनी से एक व्यक्ति के घर में घुसकर चुराया था । इस बरामदशुदा माल के अलावा और भी ज्वैलरी व नगदी हमने चुरायी थी जो हमने एक राह चलते व्यक्ति को सस्ते दाम में बेच दिया था, जो रुपये उस सामान को बेचकर आये थे वह रुपये हम दोनों ने आपस में बांट लिये थे, जिसमें से कुछ रुपये खर्च हो गये है ।

उपरोक्त घटनाओं के संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 615/24 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस, थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 232/24 धारा 380 भादवि, मु0अ0सं0 260/24 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 430/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत है। उपरोक्त अभियोगों में संबंधित धाराओं की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1- सलीम पुत्र रईश निवासी ग्राम गांगू नंगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 2- शहजाद पुत्र मौ0 अली निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक एल0ई0डी0 टीवी।
- 2- एक 880 रुपये की नोटों की माला।
- 3- सफेद व पीली धातू के आभूषण।
- 4- 4000/- रुपये नगद।

अपराधिक इतिहास अभि0 सलीम उपरोक्त -

- 1-मु0अं0सं0- 615/24 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बी.एन.एस. थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 2-मु0अ0सं0- 617/2024 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 3-मु0अं0सं0- 232/24 धारा 380 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर।
- 4-मु0अ0सं0- 260/2024 धारा 380 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर।
- 5-मु0अ0सं0- 430/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना नूरपुर बिजनौर।
- 6-मु0अ0सं0- 100/23 धारा 380/411 भादवि0 थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 7-मु0अ0सं0- 109/23 धारा 379/411 भादवि0 थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 8-मु0अ0सं0- 110/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 9-मु0अ0सं0- 731/20 धारा 379/411 भादवि0 थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 10-मु0अ0सं0- 930/23 धारा 60(1) एक्साइज एक्ट थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 11-मु0अ0सं0- 345/19 धारा 2,3 गैगस्टर एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर।

अपराधिक इतिहास अभि0 शहजाद उपरोक्त –

- 1-मु0अं0सं0- 615/24 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बी.एन.एस. थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 2-मु0अ0सं0- 617/2024 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 3-मु0अं0सं0- 232/24 धारा 380 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर।
- 4-मु0अ0सं0- 260/2024 धारा 380 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर।
- 5-मु0अ0सं0- 430/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना नूरपुर बिजनौर।
- 6-मु0अ0सं0- 781/16 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना को0 शहर बिजनौर।
- 7-मु0अ0सं0- 268/18 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर।
- 8-मु0अ0सं0- 21/22 धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर।
- 9-मु0अ0सं0- 18/19 धारा 394 भादवि0 थाना हल्दौर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 2-उ0नि0 श्री अजित कुमार थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 3-मुख्य आरक्षी 389 राहुल कुमार थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 4-आरक्षी 1154 चरनदास थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 5-आरक्षी 2070 मोहित थाना चाँदपुर बिजनौर।
- 6-आरक्षी 865 धन सिंह मलिक थाना चाँदपुर बिजनौर।